

प्रेषक,

उपेन्द्र राम,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,
वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, ऐनेक्सी ब्लॉक 3, भूतल,
पुराना सचिवालय, पटना-800015

पटना, दिनांक-

विषय:- पटना जिला में कार्यरत नवनियुक्त होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारियों के द्वारा सिविल सर्जन कार्यालय में पदस्थापन की प्रतीक्षा में बितायी गयी अवधि का विनियमन के संबंध में।

प्रसंग:- विशेष सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग का पत्रांक-PCFC/MED/RACS/2024/0640/2088(25) dated-27-12-2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि विज्ञापन संख्या-06/2020 के आलोक में बिहार तकनीकी सेवा आयोग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या-303(आ.चि.), दिनांक-14.03.2024 द्वारा होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारियों को पूर्णतः औपबंधिक रूप से नियुक्त करते हुए 15 दिनों का चिकित्सीय प्रशिक्षण/जानकारी लेने हेतु विभिन्न जिलों में पदस्थापित किया गया।

आदर्श आचार संहिता के प्रभावी रहने तथा भारत निर्वाचन आयोग से सहमति नहीं मिलने के कारण आदर्श आचार संहिता के समापन के उपरांत स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना सं०-744(आ.चि.), दिनांक-19.07.2024 द्वारा होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारियों को विभिन्न चिकित्सीय संस्थानों यथा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/जिला संयुक्त औषधालयों/राजकीय औषधालयों/आयुष कॉलेज अस्पतालों आदि में पदस्थापित किया गया, जिसके आलोक में सभी होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारियों योगदान देकर कार्यरत है। इस प्रकार सभी होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी सिविल सर्जन कार्यालय में अनिवार्य पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहे, जिसमें उनका कोई दोष नहीं है।

विभागीय पत्रांक-1397(आ०चि०), दिनांक-20.12.2024 द्वारा नवनियुक्त चिकित्सकों के पदस्थापन की अनिवार्य प्रतीक्षा में बितायी गयी अवधि को कतिपय शर्तों के साथ विनियमन किया जा चुका है। वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग के प्रासंगिक पत्र के आलोक में जिन चिकित्सा पदाधिकारियों द्वारा विनियमन की शर्त पूरी कर ली गयी हैं उनका समेकित विनियमन सूचना अवधि सहित निम्नवत है :-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापन स्थल	अवधि जिनका विनियमन किया जाना है।	अवकाश उपभोग की सूचना	यदि वेतन पुर्जा निर्गत हो गया है, तो वेतन पुर्जा संख्या	यदि वेतन पुर्जा निर्गत नहीं हुआ है तो PRAN/G PF संख्या	सेवा विनियमन के प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	8

21/1/24

1	डा० कृष्णा साहा, होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, फुलवारीशरीफ, पटना	दिनांक- 16.03.2024 से 19.07. 2024 तक 126 दिन	-	03122425057 554	-	पदस्थाप न व प्रतीक्षा अवधि
2	डा० कुन्दन कुमार, होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, फुलवारीशरीफ, पटना	दिनांक- 15.03.2024 से 19.07. 2024 तक 127 दिन	-	16112425056 186	-	पदस्थाप न की प्रतीक्षा अवधि

उक्त अवधि में उनकी कोटि का वेतन देय होगा।

प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं समक्ष प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक- 16/एम.1-77/2025 - 586 (अ. प्र.) पटना, दिनांक- 21.4.2026

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सिविल सर्जन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना/संबंधित सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/संबंधित सभी होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आईटीमैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

21/04/26
सरकार के अवर सचिव

६

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

उपेन्द्र राम,

सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,

वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, एनेक्सी ब्लॉक 3, भूतल,
पुराना सचिवालय, पटना-800015

पटना, दिनांक-

विषय:- पटना जिला में कार्यरत नवनियुक्त आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारियों के द्वारा सिविल सर्जन कार्यालय में पदस्थापन की प्रतीक्षा में बितायी गयी अवधि का विनियमन के संबंध में।

प्रसंग:- विशेष सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग का पत्रांक-PCFC/MED/RACS/2024/ 0640/2088(25) dated-27-12-2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि विज्ञापन संख्या-04/2020 के आलोक में बिहार तकनीकी सेवा आयोग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या-301(आ.चि.), दिनांक-14.03.2024 द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारियों को पूर्णतः औपबंधिक रूप से नियुक्त करते हुए 15 दिनों का चिकित्सीय प्रशिक्षण/जानकारी लेने हेतु विभिन्न जिलों में पदस्थापित किया गया।

आदर्श आचार संहिता के प्रभावी रहने तथा भारत निर्वाचन आयोग से सहमति नहीं मिलने के कारण आदर्श आचार संहिता के समापन के उपरांत स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना सं०-748(आ.चि.), दिनांक-19.07.2024 द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारियों को विभिन्न चिकित्सीय संस्थानों यथा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/जिला संयुक्त औषधालयों/राजकीय औषधालयों/आयुष कॉलेज अस्पतालों आदि में पदस्थापित किया गया, जिसके आलोक में सभी आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी योगदान देकर कार्यरत है। इस प्रकार सभी आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी सिविल सर्जन कार्यालय में अनिवार्य पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहे, जिसमें उनका कोई दोष नहीं है।

विभागीय पत्रांक-1397(आ०चि०), दिनांक-20.12.2024 द्वारा नवनियुक्त चिकित्सकों के पदस्थापन की अनिवार्य प्रतीक्षा में बितायी गयी अवधि को कतिपय शर्तों के साथ विनियमन किया जा चुका है। वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग के प्रासंगिक पत्र के आलोक में जिन चिकित्सा पदाधिकारियों द्वारा विनियमन की शर्तें पूरी कर ली गयी हैं उनका समेकित विनियमन सूचना अवधि सहित निम्नवत है :-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापन स्थल	अवधि जिनका विनियमन किया जाना है।	अवकाश उपभोग की सूचना	यदि वेतन पुर्जा निर्गत हो गया है, तो वेतन पुर्जा संख्या	यदि वेतन पुर्जा निर्गत नहीं हुआ है तो PRAN/GPF संख्या	सेवा विनियमन के प्रकार

21/12/2024

1	2	3	4	5	6	7	8
1	डा० सरिता कुमारी, आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, घोसवरी, बख्तियारपुर, पटना	दिनांक- 16.03.2024 से 19.07.2024 तक 126 दिन	-	031224250575 69	-	पदभरण की प्रतीक्षा अवधि

उक्त अवधि में उनकी कोटि का वेतन देय होगा।

प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं समक्ष प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक- 16/एम.1-77/2025 - 587 (आ. वि.) पटना, दिनांक- 21/04/2026

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सिविल सर्जन, पटना/कोषागार. पदाधिकारी, पटना/संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/संबंधित आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आईटी0मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ओके
21/04/2026

सरकार के अवर सचिव

५

सं०सं०-16/एम.1-77/2025 -

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

उपेन्द्र राम,

सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

प्रमारी पदाधिकारी,

वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, ऐनेक्सी ब्लॉक 3, भूतल,

पुराना सचिवालय, पटना-800015

पटना, दिनांक -

विषय:- पटना जिला में कार्यरत नवनियुक्त आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारियों के द्वारा सिविल सर्जन कार्यालय में पदस्थापन की प्रतीक्षा में बितायी गयी अवधि का विनियमन के संबंध में।

प्रसंग:- विशेष सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग का पत्रांक-PCFC/MED/RACS/
2024/ 0640/2088(25) dated-27-12-2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि विज्ञापन संख्या-04/2020 के आलोक में बिहार तकनीकी सेवा आयोग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या-301(आ.चि.), दिनांक-14.03.2024 द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारियों को पूर्णतः औपबंधिक रूप से नियुक्त करते हुए 15 दिनों का चिकित्सीय प्रशिक्षण/जानकारी लेने हेतु विभिन्न जिलों में पदस्थापित किया गया।

आदर्श आचार संहिता के प्रभावी रहने तथा भारत निर्वाचन आयोग से सहमति नहीं मिलने के कारण आदर्श आचार संहिता के समापन के उपरांत स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना सं०-748(आ.चि.), दिनांक-19.07.2024 द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारियों को विभिन्न चिकित्सीय संस्थानों यथा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/जिला संयुक्त औषधालयों/राजकीय औषधालयों/आयुष कॉलेज अस्पतालों आदि में पदस्थापित किया गया, जिसके आलोक में सभी आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी योगदान देकर कार्यरत है। इस प्रकार सभी आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी सिविल सर्जन कार्यालय में अनिवार्य पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहे, जिसमें उनका कोई दोष नहीं है।

विभागीय पत्रांक-1397(आ०चि०), दिनांक-20.12.2024 द्वारा नवनियुक्त चिकित्सकों के पदस्थापन की अनिवार्य प्रतीक्षा में बितायी गयी अवधि को कतिपय शर्तों के साथ विनियमन किया जा चुका है। वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग के प्रासंगिक पत्र के आलोक में जिन चिकित्सा पदाधिकारियों द्वारा विनियमन की शर्तें पूरी कर ली गयी हैं उनका समेकित विनियमन सूचना अवधि सहित निम्नवत है :-

21/1/24

क्र. सं.	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापन स्थल	अवधि जिनका विनियमन किया जाना है।	अवकाश उपभोग की सूचना/ अनुपस्थिति	यदि वेतन पुर्जा निर्गत हो गया है, तो वेतन पुर्जा संख्या	यदि वेतन पुर्जा निर्गत नहीं हुआ है तो PRAN/GP F संख्या	सेवा विनियमन के प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डा० अमृता कुमारी, आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी	अति० प्रा० स्वा० केन्द्र, बाली, पटना	दिनांक- 15.03.2024 से 23.07.2024 तक 131 दिन	-	151124250 55900	-	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि
2	डा० सत्यरंजन प्रसाद सिंह, आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी	अति० प्रा० स्वा० केन्द्र, रूकनपुरा, बख्तियारपुर, पटना	दिनांक-16 .03.2024 से 22.07. 2024 तक 129 दिन	-	031224250 57602	-	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि
3	डा० धन्नजय कुमार, आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मिसी, बख्तियारपुर, पटना	दिनांक-19 .03.2024 से 22.07. 2024 तक 126 दिन	-	161124250 56135	-	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि
4	डा० कौशल किशोर प्रभाकर, आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हरदासपुर दियारा, बख्तियारपुर, पटना	दिनांक-19 .03.2024 से 22.07. 2024 तक 126 दिन	-	031224250 57571	-	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि
5	डा० अनामिका कुमारी, आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिरसी, बख्तियारपुर, पटना	दिनांक-16 .03.2024 से 20.07. 2024 तक 127 दिन	-	221124250 56886	-	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि
6	डा० शोभा रानी, आयुर्वेदिक चिकित्सा	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सोनारू,	दिनांक-16 .03.2024 से 22.07. 2024 तक	-	151124250 55912	-	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि

21/11/24

	पदाधिकारी	फतुहा, पटना	129 दिन				
7	डा० सत्याधी श्याम, आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी	राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी निर्माणशाला, बिहार, पटना	दिनांक-16 .03.2024 से 22.07. 2024 तक 129 दिन	-	061224250 57821	-	पदस्थाप न की प्रतीक्षा अवधि
8	डा० सुषमा कुमारी, आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी	राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी निर्माणशाला, बिहार, पटना	दिनांक-16 .03.2024 से 11.09. 2024 तक 180 दिन	-	021224250 57487	-	पदस्थाप न की प्रतीक्षा अवधि

उक्त अवधि में उनकी कोटि का वेतन देय होगा।

प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं समक्ष प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त

है।

विश्वासभाजन

ह०/-

सरकार के अवर सचिव

पटना, दिनांक-21.4.2026

ज्ञापांक- 16/एम.1-77/2025 - 588 (आ. वि.)

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सिविल सर्जन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना/संबंधित सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/संबंधित सभी आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आईटीमैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

21/04/26
सरकार के अवर सचिव

8

सं०सं०-16/एम.1-77/2025

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

उपेन्द्र राम,

सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,

वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, एनेक्सी ब्लॉक 3, भूतल,

पुराना सचिवालय, पटना-800015

पटना, दिनांक-

विषय:- पटना जिला में कार्यरत नवनियुक्त होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारियों के द्वारा सिविल सर्जन कार्यालय में पदस्थापन की प्रतीक्षा में बितायी गयी अवधि का विनियमन के संबंध में।

प्रसंग:- विशेष सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग का पत्रांक-PCFC/MED/RACS/ 2024/ 0640/2088(25) dated-27-12-2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि विज्ञापन संख्या-06/2020 के आलोक में बिहार तकनीकी सेवा आयोग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या-303(आ.चि.), दिनांक-14.03.2024 द्वारा होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारियों को पूर्णतः औपबंधिक रूप से नियुक्त करते हुए 15 दिनों का चिकित्सीय प्रशिक्षण/जानकारी लेने हेतु विभिन्न जिलों में पदस्थापित किया गया।

आदर्श आचार संहिता के प्रभावी रहने तथा भारत निर्वाचन आयोग से सहमति नहीं मिलने के कारण आदर्श आचार संहिता के समापन के उपरांत स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना सं०-744(आ.चि.), दिनांक-19.07.2024 द्वारा होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारियों को विभिन्न चिकित्सीय संस्थानों यथा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/जिला संयुक्त औषधालयों/राजकीय औषधालयों/आयुष कॉलेज अस्पतालों आदि में पदस्थापित किया गया, जिसके आलोक में सभी होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारियों योगदान देकर कार्यरत है। इस प्रकार सभी होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी सिविल सर्जन कार्यालय में अनिवार्य पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहे, जिसमें उनका कोई दोष नहीं है।

विभागीय पत्रांक-1397(आ०चि०), दिनांक-20.12.2024 द्वारा नवनियुक्त चिकित्सकों के पदस्थापन की अनिवार्य प्रतीक्षा में बितायी गयी अवधि को कतिपय शर्तों के साथ विनियमन किया जा चुका है। वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग के प्रासंगिक पत्र के आलोक में जिन चिकित्सा पदाधिकारियों द्वारा विनियमन की शर्तें पूरी कर ली गयी हैं उनका समेकित विनियमन सूचना अवधि सहित निम्नवत है :-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापन स्थल	अवधि जिनका विनियमन किया जाना है।	अवकाश उपभोग की सूचना/ अनुपस्थिति	यदि वेतन पुर्जा निर्गत हो गया है, तो वेतन पुर्जा संख्या	यदि वेतन पुर्जा निर्गत नहीं हुआ है तो PRAN/ GPF संख्या	सेवा विनियमन के प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	8

1	डा० चन्दन कुमार, होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी	अति०प्रा०स्वा० केन्द्र, सालिमपुर, बख्तियारपुर, पटना	दिनांक— 19.03.2024 से 22.07.2024 तक 126 दिन	—	28112425 057297	—	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि
2	डा० विरेश कुमार, होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी	अति०प्रा०स्वा० केन्द्र, डिह, मंझौली, बख्तियारपुर, पटना	दिनांक— 18.03.2024 से 21.07. 2024 तक 126 दिन	—	16012525 060439	—	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि
3	डा० सुदिन कुमार सुमन, होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी	अति०प्रा०स्वा० केन्द्र, गौरीचक, संपतचक, पटना	दिनांक— 18.03.2024 से 22.07. 2024 तक 127 दिन	—	24122425 058878	—	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि
4	डा० भूतेश कुमार सिन्हा, होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भगवानगंज, मसौढ़ी पटना	दिनांक—19. 03.2024 से 22.07.2024 तक 126 दिन	—	24122425 058886	—	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि

उक्त अवधि में उनकी कोटि का वेतन देय होगा।

प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं समक्ष प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
विश्वासभाजन

ह०/—

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक— 16/एम.1-77/2025 — 589 (अ.प्रि.) पटना, दिनांक— 21.4.2026

प्रतिलिपि:— महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— सिविल सर्जन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना/संबंधित सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/संबंधित सभी होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— आईटीमैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

21/04/26
सरकार के अवर सचिव

50

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

उपेन्द्र राम,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,
वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, एनेक्सी ब्लॉक 3, भूतल,
पुराना सचिवालय, पटना-800015.

पटना, दिनांक- 21.4.2026

विषय:- पटना जिला में कार्यरत नवनियुक्त यूनानी चिकित्सा पदाधिकारियों के द्वारा सिविल सर्जन कार्यालय में पदस्थापन की प्रतीक्षा में बितायी गयी अवधि का विनियमन के संबंध में।

प्रसंग:- विशेष सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग का पत्रांक-PCFC/MED/RACS/2024/0640/2088(25) dated-27-12-2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि विज्ञापन संख्या-08/2020 के आलोक में बिहार तकनीकी सेवा आयोग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या-305(आ.चि.), दिनांक-14.03.2024 द्वारा यूनानी चिकित्सा पदाधिकारियों को पूर्णतः औपबंधिक रूप से नियुक्त करते हुए 15 दिनों का चिकित्सीय प्रशिक्षण/जानकारी लेने हेतु विभिन्न जिलों में पदस्थापित किया गया।

आदर्श आचार संहिता के प्रभावी रहने तथा भारत निर्वाचन आयोग से सहमति नहीं मिलने के कारण आदर्श आचार संहिता के समापन के उपरांत स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना सं०-743(आ.चि.), दिनांक-19.07.2024 द्वारा यूनानी चिकित्सा पदाधिकारियों को विभिन्न चिकित्सीय संस्थानों यथा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/जिला संयुक्त औषधालयों/राजकीय औषधालयों/आयुष कॉलेज अस्पतालों आदि में पदस्थापित किया गया, जिसके आलोक में सभी यूनानी चिकित्सा पदाधिकारियों योगदान देकर कार्यरत है। इस प्रकार सभी यूनानी चिकित्सा पदाधिकारियों सिविल सर्जन कार्यालय में अनिवार्य पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहे, जिसमें उनका कोई दोष नहीं है।

विभागीय पत्रांक-1397(आ०चि०), दिनांक-20.12.2024 द्वारा नवनियुक्त चिकित्सकों के पदस्थापन की अनिवार्य प्रतीक्षा में बितायी गयी अवधि को कतिपय शर्तों के साथ विनियमन किया जा चुका है। वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग के प्रासंगिक पत्र के आलोक में जिन चिकित्सा पदाधिकारियों द्वारा विनियमन की शर्तें पूरी कर ली गयी हैं उनका समेकित विनियमन सूचना अवधि सहित निम्नवत है :-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापन स्थल	अवधि जिनका विनियमन किया जाना है।	अवकाश उपभोग की सूचना/ अनुपस्थिति	यदि वेतन पुर्जा निर्गत हो गया है, तो वेतन पुर्जा संख्या	यदि वेतन पुर्जा निर्गत नहीं हुआ है तो PRAN/G PF संख्या	सेवा विनियमन के प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डा० प्रवेज आलम, यूनानी चिकित्सा	अति०प्रा०स्वा० केन्द्र, मोमिन्दपुर,	दिनांक- 16.03.2024 से 22.07.2024		21112425 056824	-	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि

21/4/26

	पदाधिकारी	फतुहा, पटना	तक 129 दिन				
2	डा० मो० खुर्शीद आलम अंसारी, यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी	अति०प्रा०स्वा० केन्द्र, मोजीपुर, फतुहा, पटना	दिनांक— 19.03.2024 से 22.07.2024 तक 126 दिन		15112425 055897	—	पदस्थान की प्रतीक्षा अवधि
3	डा० शाबिस्ता फातमा तैयबी, आवासीय चिकित्सा पदाधिकारी	राजकीय तिब्बी कॉलेज अस्पताल, पटना	दिनांक— 01.04.2024 से 22.07.2024 तक 114 दिन		16112425 056104	—	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि
4	डा० सुल्ताना अंजुम, यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी	अति०प्रा०स्वा० केन्द्र, कालादियार, पटना	दिनांक— 16.03.2024 से 22.07.2024 तक 129 दिन	—	15112425 057012	—	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि
5	डा० निशात नाजली, यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी	अति०प्रा०स्वा० केन्द्र, सरैया, दुल्हन बाजार, पटना	दिनांक— 19.03.2024 से 22.07.2024 तक 126 दिन	—	05112425 055244	—	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि
6	डा० हशमत इमाम, यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी	अति०प्रा०स्वा० केन्द्र, रूपस, महाजिर, बख्तियारपुर, पटना	दिनांक— 16.03.2024 से 21.07.2024 तक 128 दिन	—	20112425 056711	—	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि

उक्त अवधि में उनकी कोटि का वेतन देय होगा।

प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं समक्ष प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
विश्वासभाजन

ह०/—

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक— 16/एम.1-77/2025 - 590 (आ. चि.) पटना, दिनांक— 21.4.2026

प्रतिलिपि:— महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— सिविल सर्जन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना/संबंधित सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/संबंधित सभी यूनानी चिकित्सा पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— आईटी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना सूचनार्थ एवं विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

21/4/2026

सरकार के अवर सचिव

8